

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर  
पीठारीन अधिकारी श्री वीरमा राम (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री  
वादीनी वनाग प्रतिवादीगण

सुआदेवी पुत्री भगराराम पत्नि  
ईशराराम जाति भील निवासी  
आदर्श महाबार तहसील व  
जिला बाड़मेर

1 पताराम पुत्र भगराराम 2 मगलाराम पुत्र नगाराम  
3 भूराराम पुत्र नगाराम 4 मथरी देवा ताराराम 5 मु.  
दरिया देवा मूला 6 रमेश वल्द मूला 7 रतना वल्द  
जलाल जातियान भील निवासी आदर्श महाबार  
तहसील व जिला बाड़मेर 8 तहसीलदार साहब  
बाड़मेर

दावा बाबत् 88 व 188 रा.का.अ.


मुकदमा नम्बर :- 85/2012

निर्णय दिनांक :- 13/06/15

वकील वादीनी व वकील प्रतिवादी संख्या .....-..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13/06/15 को श्री वीरमा राम, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि:-

वादीनी का वाद स्वीकार किया मौजा आदर्श महाबार पटवार क्षेत्र महाबार तहसील बाड़मेर में खसरा नम्बर 368 रकबा 01.05 बीघा, खसरा नंबर 453 रकबा 0.03 बीघा खसरा नंबर 454 रकबा 0.05 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा नंबर 369 रकबा 130 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 455 रकबा 129.00 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल खेत 5 कुल रकबा 260.13 बीघा भूमि में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/8-1/8 हिस्सा खातेदारी में घोषित खातेदारी का घोषित किया जाता है। अतः तहसीलदार बाड़मेर निर्णय की पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 13/06/15 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
(वीरमा राम)

पीठारीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर  
(500) बाड़मेर  
(एसडीओ) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
	जोड़		जोड़